न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 36/2022 तारीख दायर :-12.05.2022 दिनांक निर्णय :-06.06.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.कैलाश पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी भोली वालों का बास कोराठ तहसील राजगढ़ अलवर

2.रूपनारायण पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी भोली वालों का बास कोराठ तहसील राजगढ़ अलवर

3.नरसी पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी भोली वालों का बास कोराठ तहसील राजगढ़ अलवर

4.श्रीराम पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी भोली वालों का बास कोराठ तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल कैलाश, रूपनारायण, नरसी व श्रीराम पुत्रान मूलचन्द जाति माली निवासी भोली वालों का बास करोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा ग्राम भजेडा के राजकीय सिवायचक गैर मु0 सड़क सार्वजनिक निमार्ण विभाग(पीडब्लूडी) आ0ख0न0 342 रकबा 0.15 में से 0.01 है0 भूमि पर सम्वत् 2079 में बाड़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान कैलाश, रूपनारायण, नरसी व श्रीराम उपस्थित आया। गैरसायलान की ओर से नोटिस जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायलान द्वारा नोटिस जवाब में कथन किया गया है कि उक्त रास्ते में किसी प्रकार की बाडी नहीं लगाई जबकि पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 06.05.2022 के अनुसार गैरसायल द्वारा बाडी लगाकर गैर मु0 सड़क की भूमि पर अतिक्रमण किया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल कैलाश, रूपनारायण, नरसी व श्रीराम पुत्रान मूलचन्द जाति माली निवासी भोली वालों का बास करोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर काबिल बेदखली है। गैरसायल के विरूद्ध शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा में राशि 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का भजेडा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 06.06.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गिर्राज प्रसाद मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर